

कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमधोपुर (सीकर) राज.

कमांक:नपाश्रीमा / 2021-22 / 4565

दिनांक: 15/02/2022

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15.02.2022 को प्रातः 10.30 बजे नगर पालिका श्रीमधोपुर में आहुत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार

16(सोलह) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यों की उपस्थिति रही :-

- | | | | |
|--|------------------|------------------------|----------|
| 1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमधोपुर | (हरिनारायण) | (अध्यक्ष) | उपस्थित। |
| 2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमधोपुर | (रजत जैन) | (सदस्य सचिव) | उपस्थित। |
| 3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर (मो. अजहर जादू) | (लोकेश निवारवाल) | (सदस्य) | उपस्थित। |
| 4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमधोपुर | (रक्षपाल स्वामी) | (विशेष आमंत्रित सदस्य) | उपस्थित। |
| 5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमधोपुर | (निरचल बनर्जी) | (विशेष आमंत्रित सदस्य) | उपस्थित। |
| 6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमधोपुर | | | |

उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त समिति की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :-

1. श्री कजोडमल पुत्र श्री परसाराम जाट एवं श्री सुण्डाराम पुत्र श्री मोदूराम जाट वार्ड नं. 17 सीकर बाजार श्रीमधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के भूखण्ड क्षेत्रफल 75.11 वर्गगज पर व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री कजोडमल पुत्र श्री परसाराम जाट एवं श्री सुण्डाराम पुत्र श्री मोदूराम जाट वार्ड नं. 17 सीकर बाजार श्रीमधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के भूखण्ड पर क्षेत्रफल 75.11 वर्गगज व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 27.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार 07 दिवस में आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमधोपुर द्वारा दिनांक 05.01.22 की आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति हेतु तकनिकी मॉका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। मॉके पर भूखण्ड में कोई निर्माण नहीं है। भवन विनियम-2020 के अनुसार उक्त भूखण्ड पर सैटबैक अग्र 3 मीटर छोड़ते हुए अधिकतम उचाई 8 मीटर तक उक्त भूखण्ड पर आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति (भूतल) अनुज्ञेय की जा सकती है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार भूखण्ड पर आवेदक का स्वामित्व सिद्ध हो रहा है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री कजोडमल पुत्र श्री परसाराम जाट एवं श्री सुण्डाराम पुत्र श्री मोदूराम जाट वार्ड नं. 17 सीकर बाजार श्रीमधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के उक्त भूखण्ड पर सैटबैक अग्र 3 मीटर छोड़ते हुए

रु

श्रीमधोपुर

15/2/2022

रु

रु


रु

अधिकतम उचाई 8 मीटर तक आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति (भूतल) जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. श्रीमती गीता देवी पत्नी कजोडमल चोटिया द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्रीमती गीता देवी पत्नी कजोडमल चोटिया द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 13.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 80 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 39.51 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्रीमती गीता देवी पत्नी कजोडमल चोटिया से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 39.51 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3. श्री महेन्द्र कुमावत, श्री महेश कुमार कुमावत पुत्रगण श्री शंकर लाल कुमावत द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमावत, श्री महेश कुमार कुमावत पुत्रगण श्री शंकर लाल कुमावत द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 60 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वरूप


15/12/2022


15/12/2022






सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 117.24 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री महेंद्र कुमावत, श्री महेश कुमार कुमावत पुत्रगण श्री शंकर लाल कुमावत से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 117.24 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. श्री राजेश कुमार आचार्य पुत्र श्री सियाराम आचार्य द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री राजेश कुमार आचार्य पुत्र श्री सियाराम आचार्य द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य रतरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 80 प्रतिशत निर्माण अवरिथत है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मारस्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 56.88 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री राजेश कुमार आचार्य पुत्र श्री सियाराम आचार्य से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 56.88 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5. श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी स्व. श्री रुडमल आचार्य द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी स्व. श्री रुडमल आचार्य द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित









भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 50 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मारस्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रमारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 121.52 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः वाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी स्व. श्री रुडमल आचार्य से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 121.52 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

6. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रामप्रताप कुमावत द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रामप्रताप कुमावत द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 26.11.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मारस्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रमारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 117.24 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे

रु

रु

रु

रु

रु

रु


कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रामप्रताप कुमावत से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 117.24 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7. श्री अशोक कुमार सोनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सोनी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री अशोक कुमार सोनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सोनी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20.01.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 80 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मारटर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रमांशी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 140.38 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।


अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री अशोक कुमार सोनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सोनी से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 140.38 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8. श्री रामचन्द्र सैन, श्री रतनलाल सैन पुत्रगण श्री रामेश्वरलाल सैन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री रामचन्द्र सैन, श्री रतनलाल सैन पुत्रगण श्री रामेश्वरलाल सैन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं


15/01/2022


15/01/2022


15/01/2022


15/01/2022

है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 96.15 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के स्वर्ण पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री रामचन्द्र सैन, श्री रतनलाल सैन पुत्रगण श्री रामेश्वरलाल सैन से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 96.15 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।


9. श्री इकरामुद्दीन कुरैशी पुत्र श्री कमरुद्दीन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 138.22 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के स्वर्ण पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री इकरामुद्दीन कुरैशी पुत्र श्री कमरुद्दीन से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 138.22 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

रामेश्वर
15/08/2022
रामेश्वर

रामेश्वर


श्री रमजान खॉं कुरेशी पुत्र श्री छोदू खॉं द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवसीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री रमजान खॉं कुरेशी पुत्र श्री छोदू खॉं द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवसीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 24.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 40 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवसीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभासी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवसीय पट्टा क्षेत्रफल 178.54 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत


15/01/2022

अतः वाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री रमजान खॉं कुरेशी पुत्र श्री छोदू खॉं से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवसीय पट्टा क्षेत्रफल 220.49 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।



11. श्री सलीम कुरेशी पुत्र श्री छोदू खॉं द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवसीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री सलीम कुरेशी पुत्र श्री छोदू खॉं द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवसीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 24.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 35 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवसीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभासी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवसीय पट्टा क्षेत्रफल 178.54 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत


15/01/2022



करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगाता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगाता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः वाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री सलीम कुरेशी पुत्र श्री छोटू खॉं से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवारसीय पट्टा क्षेत्रफल 178.54 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

12. श्रीमती भगोती देवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल कुमावत द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवारसीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अर्वागत करवाया गया कि आवेदक श्रीमती भगोती देवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल कुमावत द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवारसीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 24.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 40 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मारटर प्लान-2031 में आवारसीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर रखा निधि सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवारसीय पट्टा क्षेत्रफल 290.22 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अर्वागत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगाता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगाता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः वाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्रीमती भगोती देवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल कुमावत से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवारसीय पट्टा क्षेत्रफल 290.22 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

13. श्री मेहराज खॉं पुत्र श्री रूडा खॉं द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवारसीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अर्वागत करवाया गया कि आवेदक श्री मेहराज खॉं पुत्र श्री रूडा खॉं द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवारसीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर


रि








रि







90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 136.82 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्चे पर हटा लिया जावेगा।

अतः वाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री मेहरराज खों पुत्र श्री रुडा खों से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 136.82 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

14. श्री इसाक खों पुत्र श्री सादिक खों द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य राविव अशिशारी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री इसाक खों पुत्र श्री सादिक खों द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22.11.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमधोपुर द्वारा दिनांक 04.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 75 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 42.60 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्चे पर हटा लिया जावेगा।

अतः वाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री इसाक खों पुत्र श्री सादिक खों से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 42.60 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।


15/01/22

15/01/22

16. नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त खसरा संख्या 679, 680, 681 कुल खसरे 03 कुल रकबा 0.9 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ "लक्ष्मी नगर" योजना कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ का ले-आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार/निर्णय :- ध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 679, 680, 681 कुल खसरे 03 कुल रकबा 0.9 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का गैर-कृषिक प्रयोजनो के लिये उपयोग किये जाने के कारण उक्त भूमि में अधिकारो और हित को पर्यवसिन कर राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमो से मुक्त निहित करने हेतु प्रारूप-(12) में सम्बन्धित खातेदारो को नोटिस एवं प्रारूप-(13) में 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना जारी 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशिकत की गई एवं प्रारूप-(13) एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार महोदय को भेजकर उक्त वर्णित भूमि के कृषि भूमि के गैर-कृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभियुति अधिकारो को निर्वाचित करने के संबंध में आक्षेप / सहमति से सूचित करने हेतु लिखा गया। उक्त आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना पर निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियो का नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है। श्रीमान तहसीलदार महोदय के पत्रांक 05 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा 90 (क) सुओमोटो किये जाने हेतु प्रारूप-(6) में सहमति प्रकृत उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3768-70 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा प्रारूप-(11) में उक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) सुओमोटो आदेश जारी किये गये एवं एक प्रति सम्बन्धित खातेदारो को सूचनार्थ प्रेषित की गई। उपरोक्त 90-(क) सुओमोटो आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा उपरोक्त भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका के नाम से दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4105 दिनांक 20.01.2022 के द्वारा श्रीमान उप / जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में ले-आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके.1600 / 308 / श्रीमाधोपुर / 2022 / 1255 दिनांक 01.02.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्वधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ "लक्ष्मी नगर" योजना के अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अध्वक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले-आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554 / 2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय-समय पर जारी अन्य आदेशो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.17(1)नविदि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा खसरा संख्या 679, 680, 681 कुल खसरे 03 कुल रकबा 0.9 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ "लक्ष्मी नगर" योजना का ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

रु

रु

रु

रु

रु

रु

रु

15. प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 की तैयारियो एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के प्रचार-प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानो पर प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 से सम्बन्धित होर्डिंग लगावते हुए एवं वार्डवार्डज टीम गठित कर घर-घर सम्पलेट बटवाये जा रहे है। शहर के मुख्य समाचार पत्रो के माध्यम से 02 अक्टुबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवार्डज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवार्डज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टे, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप-विभाजन, पुर्नगठन, ले-आउट प्लान अनुमोदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 365 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन पर त्वरित गति कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 209 पट्टे जारी किये जा चुके है तथा शेष प्रकरणो को निस्तरण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थित सदस्यो द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टे के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(हरिनारायण) **अध्यक्ष**
अध्यक्षरपालिका श्रीमाधोपुर
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(रक्षपाल स्वामी)
विधि सलाहकार
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(रजत जैन)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

ballesh Mishra
(लोकेश मिश्रा)
कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

(मो. अजहर जाट)
उप/वि.प्र. अजहर जाट
उप/वि.प्र. अजहर जाट
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

(निशचल बनर्जी)
लेखा प्रभाषी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

15/10/2021

58